

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक— पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-01/2022— 82'

प्रेषक,

ऋषि कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक— 12/8/26

विषय:— वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत निदेशालय के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0002-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण-निदेशालय के अंतर्गत कुल राशि रू0 91,14,140/- (रूपये इक्यानवे लाख चौदह हजार एक सौ चालीस) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत निदेशालय के संधारणार्थ संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि रू0 91,14,140/- (रूपये इक्यानवे लाख चौदह हजार एक सौ चालीस) मात्र आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0002-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण-निदेशालय विषय शीर्ष 01 01 वेतन, 01 03 जीवन यापन भत्ता, 01 04 मकान किराया भत्ता, 01 05 परिवहन भत्ता, 01 06 चिकित्सा भत्ता, 05 01 पुरस्कार, 06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 11 01 यात्रा व्यय, 13 01 कार्यालय व्यय, 13 02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव, 13 03 दूरभाष, 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान, 20 01 आतिथ्य व्यय, 20 03 प्रशिक्षण व्यय, 26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन, 28 02 संविदा सेवाएँ, 28 03 कन्सलटेंसी, 28 05 परीक्षा संबंधी व्यय, विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-001-0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

4- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ऋषि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

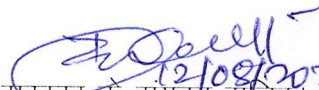
ज्ञापक— पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 —82 पटना, दिनांक— 12/8/26
प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

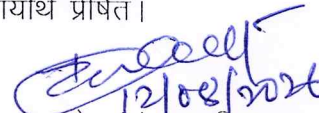
ज्ञापक— पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 —82 पटना, दिनांक— 12/8/26
प्रतिलिपि—वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

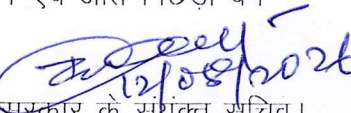
ज्ञापांक— पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 - 82 पटना, दिनांक— 12/8/26
प्रतिलिपि—निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12/08/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 - 82 पटना, दिनांक— 12/8/26
प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12/08/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— पि०व०/02/ब० एवं आ०-17-01/2022 - 82 पटना, दिनांक— 12/8/26
प्रतिलिपि—उप सचिव, (बजट प्रभारी)/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी
(बजट)/आईटी0मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12/08/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशालय के संधारणार्थ आवंटित राशि की विवरणी।

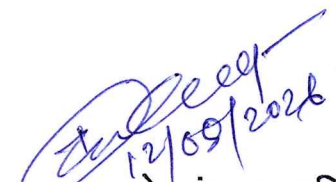
विपत्र कोड-11-2225-03-001-0002

(राशि रु० में)

क्रम सं०	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	01 01-वेतन	3485340.00
2	01 03-जीवन यापन भत्ता	2265940.00
3	01 04-मकान किराया भत्ता	696800.00
4	01 05- परिवहन भत्ता	288100.00
5	01 06- चिकित्सा भत्ता	72360.00
(क) योग- वेतनादि		6808540.00
6	05 01-पुरस्कार	1600.00
7	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	64000.00
8	11 01-यात्रा व्यय	64000.00
9	13 01-कार्यालय व्यय	640000.00
10	13 02 -वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	160000.00
11	13 03- दूरभाष	96000.00
12	13 10-भाड़े की गाड़ी का भुगतान	480000.00
13	20 01- आतिथ्य व्यय	16000.00
14	20 03-प्रशिक्षण व्यय	16000.00
15	26 01-विज्ञापन और प्रकाशन	160000.00
16	28 02-संविदा सेवाएँ	480000.00
17	28 03-कन्सलटेंसी	32000.00
18	28 05 परीक्षा संबंधी व्यय	96000.00
(ख) योग- अन्य		2305600.00
कुल योग (क+ख)-		9114140.00

कुल राशि (रु० इक्यानवे लाख चौदह हजार एक सौ चालीस) मात्र।

पत्रांक- 82 दिनांक-12/08/26 का अनुलग्नक


सरकार के संयुक्त सचिव।